

उत्तराखण्ड शासन

लघु सिंचाई विभाग

संख्या 1239/11/2008-01 (01)/2003

देहरादून, 12 अगस्त, 2008

अधिसूचना

प्रकीर्ण

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तरांचल लघु सिंचाई (सिंचाई विभाग), कनिष्ठ अभियन्ता (समूह "ग") सेवा नियमावली, 2003 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

उत्तराखण्ड लघु सिंचाई (सिंचाई विभाग), कनिष्ठ अभियन्ता (समूह "ग")  
सेवा (संशोधन) नियमावली, 2008

भाग एक-सामान्य

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:-

(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड लघु सिंचाई (सिंचाई विभाग), कनिष्ठ अभियन्ता (समूह "ग") सेवा (संशोधन) नियमावली, 2008 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2. नियम 3 के खण्ड (ब), (व), (घ) तथा (ज) का प्रतिस्थापन:-

उत्तरांचल लघु सिंचाई (सिंचाई विभाग), कनिष्ठ अभियन्ता (समूह "ग") सेवा नियमावली, 2003 जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये वर्तमान नियम 3 के खण्ड (ब), (व), (घ) तथा खण्ड (ज) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिये गये खण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात:-

स्तम्भ-1 (वर्तमान नियम)	स्तम्भ-2 (एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम)
3-परिभाषाएं : (ब) "समिति" का तात्पर्य वयन समिति से है जिसका गठन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया हो, (व) "सेवा" का तात्पर्य उत्तरांचल कनिष्ठ अभियन्ता सेवा लघु सिंचाई विभाग (सिंचाई विभाग) समूह "ग" से है, (घ) "विभागाध्यक्ष" का तात्पर्य मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, मुख्य अभियन्ता (स्तर-1) सिंचाई विभाग से है, (ज) "मुख्य अभियन्ता" का तात्पर्य मुख्य अभियन्ता स्तर-2 से है,	3-परिभाषाएं : (ब) "आयोग" से उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग अभिप्रेत है; (व) "सेवा" से उत्तराखण्ड लघु सिंचाई विभाग की कनिष्ठ अभियन्ता (समूह "ग") सेवा अभिप्रेत है; (घ) "विभागाध्यक्ष" से "मुख्य अभियन्ता लघु सिंचाई विभाग" अभिप्रेत है; (ज) "मुख्य अभियन्ता" से "मुख्य अभियन्ता लघु सिंचाई विभाग" अभिप्रेत है;

## 3. नियम 5(क) के शीर्षक का प्रतिस्थापन—

उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये वर्तमान नियम 5(क) के शीर्षक के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया शीर्षक रख दिया जायेगा, अर्थात :-

स्तम्भ-1 (वर्तमान शीर्षक)	स्तम्भ-2 (एतद्वारा प्रतिस्थापित शीर्षक)
5 (क) कनिष्ठ अभियन्ता (लघु सिचाई)/ हाईड्रम	5 (क) कनिष्ठ अभियन्ता (लघु सिचाई)

## 4. नियम 15 का प्रतिस्थापन—

उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये वर्तमान नियम 15 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात :-

स्तम्भ-1 (वर्तमान नियम)	स्तम्भ-2 (एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम)
<p>15-सीधी भर्ती की प्रक्रिया :</p> <p>(1) सीधी भर्ती के प्रयोजन के लिए एक चयन समिति का गठन विभागाध्यक्ष द्वारा निम्नानुसार किया जायेगा :-</p> <p>(i) अधिष्ठान का मुख्य अभियन्ता... अध्यक्ष</p> <p>(ii) वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी ... सदस्य (विभागाध्यक्ष)</p> <p>(iii) अधीक्षण अभियन्ता (कार्मिक) ...संयोजक</p> <p>उक्त में से यदि कोई अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति का अधिकारी नहीं है तब नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नामित अनुसूचित जाति/जनजाति का अधिकारी जो एक स्तर से निम्न का न हों, सदस्य रहेगा।</p> <p>(2) रिक्तियों की सूचना चयन समिति के अध्यक्ष द्वारा समाचार-पत्रों में विज्ञापित की जायेगी और ऐसे अभ्यर्थियों के आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जायेंगे जो परिशिष्ट के स्तम्भ-5 में विनिर्दिष्ट तकनीकी अर्हता रखते हों और जिनके नाम उत्तरांचल स्थित विभिन्न सेवायोजन कार्यालयों में पंजीकृत हों।</p> <p>(3) किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जायेगा जब तक कि उसके पास नियुक्त चयन समिति द्वारा जारी किया गया प्रवेश-पत्र न हो।</p> <p>(4) चयन समिति द्वारा एक लिखित परीक्षा का आयोजन निम्नलिखित विषयों में किया जायेगा :-</p>	<p>15-सीधी भर्ती की प्रक्रिया :</p> <p>(1) प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आयोग, विहित प्रपत्र में आवेदन-पत्र आमंत्रित करेगा।</p> <p>(2) रिक्तियों की सूचना आयोग द्वारा समाचार-पत्रों में विज्ञापित की जायेगी और ऐसे अभ्यर्थियों के आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जायेंगे जो परिशिष्ट के स्तम्भ-5 में विनिर्दिष्ट तकनीकी अर्हता रखते हों और जिनके नाम उत्तराखण्ड स्थित विभिन्न सेवायोजन कार्यालयों में पंजीकृत हो।</p> <p>(3) किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में तब तक सम्मिलित नहीं किया जायेगा जब तक कि उसके पास आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश-पत्र न हो।</p> <p>(4) आयोग द्वारा शासन से अनुमोदित पाठ्यक्रम के अनुसार लिखित परीक्षा 350 अंक एवं व्यक्तित्व परीक्षा 50 अंक की ली जायेगी।</p>

(अ) सम्बन्धित अभियंत्रण शाखा विषय	-	50 अंक
(ब) सामान्य ज्ञान	-	20 अंक
(स) सामान्य हिन्दी	-	20 अंक
(द) साक्षात्कार	-	10 अंक
योग	-	100 अंक

(5) लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर उतने अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जायेगा, जितने इस सम्बन्ध में चयन समिति द्वारा निर्धारित स्तर तक पहुँच सके हों। प्रत्येक अभ्यर्थी को साक्षात्कार में दिये गये अंक उनके द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों में जोड़ दिये जायेंगे।

(6) चयन समिति अभ्यर्थियों को उनकी प्रवीणता क्रम में, जैसाकि लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगा और उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को जितनी वह नियुक्ति के लिए उचित समझे, संस्तुत करेगा। यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थी योग में बराबर-बराबर अंक प्राप्त करें तो लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में ऊपर रखा जायेगा। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु पच्चीस प्रतिशत से अनाधिक) होगी। चयन समिति सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

(5) लिखित परीक्षा के परिणाम प्राप्त हो जाने और सारणीबद्ध कर लिये जाने के पश्चात् आयोग, नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक् प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलायेगा, जो लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा निर्धारित स्तर तक पहुँच सके हों। साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी को दिये गये अंकों को, लिखित परीक्षा में उसके द्वारा प्राप्त अंकों में जोड़ दिया जायेगा।

(6) आयोग, अभ्यर्थियों को उनकी प्रवीणता क्रम में, जैसाकि लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के कुल योग से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगा और उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को जितने वह नियुक्ति के लिए उचित समझे, संस्तुत करेगा। यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थी कुल योग में बराबर-बराबर अंक प्राप्त करें तो लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में ऊपर रखा जायेगा। यदि लिखित परीक्षा में भी दो या अधिक अभ्यर्थियों ने बराबर-बराबर अंक प्राप्त किये हों तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जायेगा। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु पच्चीस प्रतिशत से अनाधिक) होगी। आयोग सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा।

#### 5. नियम 16 का प्रतिस्थापन-

उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये वर्तमान नियम 16 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

16-पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया

- (1) पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर उत्तरांचल विभागीय समिति का गठन (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों के लिए) नियमावली, 2003 के अनुसार गठित की जाने वाली चयन समिति के माध्यम से की जायेगी।
- (2) चयन समिति चयन किये गये अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता क्रम में, जैसी उस संवर्ग में हो, जिनसे उनकी पदोन्नति की जानी है, एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

16-पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया :

- (1) कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर, समय-समय पर यथासंशोधित उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया), नियमावली, 2003 के अनुसार होगी :

परन्तु यह कि, यदि दो या अधिक संवर्गों के वेतनमान समान हों, तो पात्रता सूची में अभ्यर्थियों के नाम, उनकी मौलिक नियुक्ति के दिनांक के क्रमानुसार रखे जायेंगे।

आज्ञा से,

विनोद फोनिया,

सचिव।